न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 49/2017 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

– **प्रार्थी**

बनाम

1. श्री रामप्रसाद व्यास पुत्र गोरीशंकर व्यास विकेता/सुपरवाईजर मैसर्स – Fashion Sutting Pvt. Ltd. S.P. 6,8 8A Ricco Groth Center भीलवाडा , स्थाई पता – मकान सं. 129, सैक्टर ए , कुम्भा सर्किल के पास , आजाद नगर, भीलवाडा
2. श्री अमित तोषीनवाल पुत्र राजेन्द्र तोषनीवाल नोमिनी मैसर्स – Fashion Sutting Pvt. Ltd. S.P. 6,8 8A Ricco Groth Center भीलवाडा , स्थाई पता – मकान सं. 31/178, पारिक डेयरी के पास माणिक्य नगर भीलवाडा
3. फर्म – मैसर्स – Fashion Sutting Pvt. Ltd. S.P. 6,8 8A Ricco Groth Center भीलवाडा

––**विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित
2. विपक्षी सं. 01 से 03 उपस्थित नहीं

आदेश

दिनांक 03.05.2018

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं, कि विपक्षी श्री रामप्रसाद व्यास पुत्र गोरीशंकर व्यास विकेता/सुपरवाईजर मैसर्स – Fashion Sutting Pvt. Ltd. S.P. 6,8 8A Ricco Groth Center भीलवाडा , स्थाई पता – मकान सं. 129, सैक्टर ए , कुम्भा सर्किल के पास , आजाद नगर, भीलवाडा का निरीक्षण करने

पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर इत्यादि का विकय कर रहा था । मैसर्स – Fashion Sutting Pvt. Ltd. S.P. 6,8 8A Ricco Groth Center भीलवाडा, का विक्रेता एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत् निर्माण इकाई द्वारा निर्मित 500–500 ग्राम के 180 पैकेट लाल मिर्च पाउडर ब्राण्ड – आरसीएम पौलिथिन पैक रखे हुये थे। एक पैकेट को ध्यान से देखने पर Red Chilli Powder, Brand – RCM , Batch No. – FS/006, Pkd. – 09/2016, Net. Wt. – 500 gm., BEST BEFORE 8 MONTHS FROM PACKAGING, Veg. Symsbole – Prasent, Mfg. & Pkd. By.- Fashion Sutting Pvt. Ltd RCM World SPL 6 Ricco Groth Center Post Swaroopganj 311025 Via Hamirgarh Dist. Bhilwara (Raj.) इत्यादि अंकित था । मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5 ए की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत् लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.09.2016 को समय 12:15 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु मैसर्स – Fashion Sutting Pvt. Ltd. S.P. 6,8 8A Ricco Groth Center भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विकेता का परिचय लिया । उस समय दुकान पर खाद्य विकेता/मैनेजर की हैसियत श्री रामप्रसाद व्यास पुत्र गोरीशंकर व्यास विकेता/सुपरवाईजर उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु लाल मिर्च पाउडर इत्यादि का विक्रय कर रहा था। विकेता से मौके पर फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति मांगी गई। विकेता / सुपरवाईजर द्वारा खाद्य लाईसेन्स प्रस्तुत किया गया ।

मौके पर गवाह एवं विकेता की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर ब्राण्ड – आरसीएम Batch No. FS/006 के 500–500 ग्राम के 4 पैकेट पॉलिथिन पैक में खाद्य कारोबारकर्ता से नमूना वास्ते जाँच हेतु एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत खरीदे एवं इस बाबत 600/– रूपये अक्षरे छः सौ रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा 4 पैक्ड पैकेटों को गवाहों एवं विकेता के सामने चार लेबल नियमानुसार भरकर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–192 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैंनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना

भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स–192 जो अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा हस्ताक्षरित थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर श्री रामप्रसाद व्यास पुत्र गोरीशंकर व्यास विक्रेता/सुपरवाईजर के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये । सभी कार्यवाही गवाहों व विकेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों को सील चपडी किया था उसका मोनोग्राम मौके पर फर्द पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाह की उपस्थिति में विकेता को लिए गये नमूने के IV Part की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी।

खाद्य नमूना सं. एक्स 192 के एक सीलबन्द भाग को फार्म नं. 6 की एक प्रति के साथ जिस पर वहीं सील नमूना अंकित था जो मैनें नमूना लेते समय काम मे ली थी । एक आउटर कवर में बंद कर , नमूने का विवरण एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला का नाम व पता लिखकर श्री रामलाल राव, च.श्रे.क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला , अजमेर एवं फार्म नं. 06 की दो प्रतियां एक लिफाफे में बंद कर भिजवाई गई।

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S.559/Act/2016/609 दिनांक 03.10.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स–192 लाल मिर्च पाउडर ब्राण्ड – आरसीएम मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री रामप्रसाद व्यास पुत्र गोरीशंकर व्यास विकेता/सुपरवाईजर मैसर्स – Fashion Sutting Pvt. Ltd. S.P. 6.8 8A Ricco Groth Center भीलवाडा , स्थाई पता – मकान सं. 129, सैक्टर ए , कुम्भा सर्किल के पास , आजाद नगर, भीलवाडा द्वारा मिसब्राण्डेड लाल मिर्च पाउडर ब्राण्ड – आरसीएम का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 19.06.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 27.07.2017 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित ।

विपक्षी सं. 01 ने अपने जवाब में बताया कि विपक्षी सं. 01 मैसर्स – Fashion Sutting Pvt. Ltd. S.P. 6,8 8A Ricco Groth Center भीलवाडा में लेबर सुपरवाईजर के पद पर कार्यरत हैं। इस प्रतिष्ठान में फूड सामग्री के निर्माण, डिस्पैच, वितरण, सेल्स आदि कार्य में उसका कोई संबंध नहीं रहता हैं । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मुझ विपक्षी को बिना किसी आधार , सबूत, प्रमाण या दस्तावेज के ही विक्रेता मान लिया हैं, जबकि उन्होनें फॉर्म V ए में मुझ विपक्षी को सुपरवाईजर होना लिखा हैं । माननीय महोदय से निवेदन हैं कि इस प्रकरण में मेरा यह जवाब स्वीकार करते हुए मुझ विपक्षी को आरोप मुक्त करने का आदेश फरमावें। विपक्षी सं. 02 ने भी अपने जवाब में रामप्रसाद को फूड बिजनेस ऑपरेटर नहीं होना बताया है।

विपक्षी सं. 02 ने अपने जवाब में बताया कि विपक्षी सं. 02 मैसर्स – Fashion Sutting Pvt. Ltd. S.P. 6,8 8A Ricco Groth Center भीलवाडा में कार्यरत हैं एवं इस कंपनी की तरफ से FSSAI अधिनियम में नामित व्यक्ति हैं। जिस स्थान से नमूना लिया गया वहां लाल मिर्च पाउडर का निर्माण हो रहा था । निर्माण के बाद पैकिंग होती हैं, लेबल्स की जांच होती हैं और क्वालिटी कंट्रोलर की रिपोर्ट आने के बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट वेयरहाउस में भेजा जाता है। इस फैक्ट्री जो प्लाट नंबर 6,8,8ए ग्रोथ सेन्टर, हमीरगढ की परिसीमा में किसी तरह का उत्पाद की रिटेलिंग नहीं होता हैं, न ही किसी उपभोक्ता को बेचा जाता है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी का यह कथन गलत हैं कि जनता को विकय हेतु लाल मिर्ची के पैकेट रखे थे । फूड सेफ्टी अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विकय के लिये रखे गये खाद्य पदार्थ का ही सैंपल लिया जा सकता हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस व्यक्ति रामप्रसाद को फूड बिजनेस ऑपरेटर मानते हुए नोटिस भेजे जाने का जिक्र किया हैं, वह रामप्रसाद वास्तव में फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं ही नही। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नॉमिनी को रेफरल लेबोरेटरी में जांच का नोटिस ना देकर भारी भूल की हैं और विपक्षी को अधिकारों से वंचित कर दिया है। नियमों की अनुपालना नहीं की हैं और इस कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत निरस्त किये जाने योग्य है।

विभागीय पैरोकार ने विपक्षी के जवाब के प्रत्युत्तर में बताया कि मौके पर निर्माण इकाई पर श्री रामप्रसाद उपस्थित थे एवं इन्होनें स्वयं को युनिट का सुपरवाईजर होना बताया था । मौके पर श्री रामप्रसाद को खाद्य नमूना वास्ते जांच लेने हेतु की सूचना 5 ए पर दे दी गयी थी । फार्म 5 ए प्राप्त करने की सूचना भी फार्म 5 पर अंकित है। मौके पर उपस्थित जिस व्यक्ति से जांच हेतु खाद्य नमूना लिया गया एवं नियमानुसार लिये गये खाद्य नमूने का भुगतान कर रसीद प्राप्त की गयी , जो विक्रेता की श्रेणी में आते है। खाद्य नमूना नियमानुसार लिया जाकर विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार अभियुक्त बनाया गया । नियमानुसार रिपोर्ट की एक प्रति नमूना लेने वाले व्यक्ति के कार्य स्थल के पते पर एवं उनके घर के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवा दी गयी थी । प्रेषित नोटिस में संबंधित विक्रेता को पुनः जांच हेतु 30 दिन का समय दिया

जाता है। उक्त निर्धारित अवधि नियमानुसार दी जा चुकी है। निर्धारित अवधि में इनके द्वारा किसी भी प्रकार की अपील नहीं की गयी । अतः अब नियमानुसार समय अवधि व्यतित होने पर पुनः जांच की अपील स्वीकार नहीं की जा सकती हैं।

विपक्षी सं. 01 से 03 बहस के दौरान उपस्थित नहीं रहे।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया है । प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि Nutritional Information – Given. The amount of total fat 2.92 gm/100gm mentiones in Nutritional information on the label of sample is false and misleading. (N.V.E.E. = 21.43%) Contravention of RegulationNo. 2.3.1(5) of **Food Safety and Standards** (Packaging and Labelling) Regulations,2011 का उल्लघंन कर मिसब्राण्डेड लाल मिर्च पाउडर ब्राण्ड –आरसीएम का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया , किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है । मैसर्स – Fashion Sutting Pvt. Ltd. S.P. 6,8 8A Ricco Groth Center भीलवाडा को फर्म के निदेशकों / नोमिनी के पूर्ण नाम पते भिजवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। मैसर्स – Fashion Sutting Pvt. Ltd. S.P. 6,8 8A Ricco Groth Center भीलवाडा द्वारा प्रतिउत्तर प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रतिउत्तर में मय डायरेक्टर के नाम पते की सूची, डायरेक्टर के पते के समर्थन में उनकी ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति, नोमिनी के फार्म 9 रेजूलेशन की कॉपी, नोमिनी श्री अमित तोषनीवाल के पते के प्रूफ के रूप में आधार कार्ड की कॉपी संलग्न कर भिजवाई गयी ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । **खाद्य विश्लेषक , खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S. 559/Act/2016/609 दिनांक 03.10.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स – 192 लाल मिर्च पाउडर ब्राण्ड– आरसीएम मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि Nutritional Information – Given. The amount of total fat 2.92 gm/100gm mentiones in Nutritional information on the label of sample is false and misleading. (N.V.E.E. = 21.43%) Contravention of RegulationNo. 2.3.1(5) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations,2011 का विपक्षीगण द्वारा उल्लघंन कर मिसब्राण्डेड लाल मिर्च पाउडर ब्राण्ड – आरसीएम का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है।**

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 01 मैसर्स – Fashion Sutting Pvt. Ltd. S.P. 6,8 8A Ricco Groth Center भीलवाडा में लेबर सुपरवाईजर के पद पर कार्यरत हैं जिससे विपक्षी सं. 01 पर किसी प्रकार की शास्ति आरोपित नहीं की जाती है। विपक्षी सं. 02 मैसर्स – Fashion Sutting Pvt. Ltd. S.P. 6,8 8A Ricco Groth Center भीलवाडा में नोमिनी पद पर कार्यरत है तथा इनके निर्देशन में ही लाल मिर्च पाउडर का निर्माण हो पैकिंग की जाती है। अतः विपक्षी सं. 02 द्वारा मिसब्राण्डेड लाल मिर्च पाउडर ब्राण्ड आरसीएम का निर्माण एवं विक्रय किया गया है , जो कि खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनिमय 2011 के प्रावधानों का उल्लघंन है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी सं. 02 को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी सं. 02 पर 15,000/–रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी सं. 02 उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 03 माह के अन्दर शास्ति राशि कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03.5.18

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4. श्री रामप्रसाद व्यास पुत्र गोरीशंकर व्यास विक्रेता/सुपरवाईजर मैसर्स – Fashion Sutting Pvt. Ltd. S.P. 6,8 8A Ricco Groth Center भीलवाडा , स्थाई पता – मकान सं. 129, सैक्टर ए , कुम्भा सर्किल के पास , आजाद नगर, भीलवाडा
5. श्री अमित तोषीनवाल पुत्र राजेन्द्र तोषनीवाल नोमिनी मैसर्स – Fashion Sutting Pvt. Ltd. S.P. 6,8 8A Ricco Groth Center भीलवाडा , स्थाई पता – मकान सं. 31/178, पारिक डेयरी के पास माणिक्य नगर भीलवाडा
4 फर्म – मैसर्स – Fashion Sutting Pvt. Ltd. S.P. 6,8 8A Ricco Groth Center भीलवाडा

03/05/18

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)